प्रतिरक्षा भारती
Pratiraksha Bharti

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का मुख्य पत्र

मई २०२४ • वर्ष-विंशति (२०) • अंक ०४ • मूल्य : १० • वार्षिक मूल्य : १२०

कानपुर में दो दिवसीय आवासीय शिक्षा वर्ग का शुभारम्भ करते हुए
भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राज बिहारी शर्मा जी
श्री एम. पी. सिंह जी एवं जी ई एन सी के राष्ट्रीय महासचिव श्री साधू सिंह जी

आर्डनेन्स फैक्ट्री अम्बाझारी के कार्यकर्ताओं द्वारा यन्त्र इण्डिया लिमिटेड के कार्यवाहक सीएमडी के साथ विभिन्न विषयों पर वार्ता

MS CMDE Shri Anup Joe Interaction Meeting with General Seceratry S Rajesh & Vidya Sagar JCM III

सम्पादक की कलम से

– श्री साधू सिंह

मित्रो

आप सभी भली भांति जानते है कि लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण का मतदान आज पूरा होने वाला है। सात चरणों के लम्बी चुनाव प्रक्रिया में आप सभी ने हर चरण के बाद मुद्दों को बदलते देखा। कभी लोकतंत्र को खतरा, किसी चरण में संविधान समाप्त हो जाएगा। कभी आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो कभी यह भी कि आने बाले समय में चुनाव नहीं होंगे, महंगाई, बेरोजगारी भ्रष्टाचार, सभी पर थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोगों ने देखी। जातीय समीकरण का भी बोल बाला रहा। MY समीकरण का स्थान PDA ने ले लिया। CBI, ED, NIA, के दुरुपयोग सभी मुद्दे उठते रहे समाप्त होते रहे कोई एक मुद्दा पूरे चुनाव में हावी नहीं हो पाया। खैर चुनाव समाप्त हो गए 4 जून को चुनाव परिणाम भी सामने आ जाएंगे। सरकार किसकी बनेगी स्पष्ट हो जाएगा। चुनाव में कोई मुद्दा नहीं आया तो वह है सरकारी कर्मचारियों का सभी दलों ने नजरन्दाज किया न पुरानी पेंशन बहाली पर कोई आश्वासन मिला न वेतन आयोग के गठन को लेकर कुछ आश्वासन मिला। निगमीकरण निजीकरण पर भी किसी भी दल ने कोई स्पष्टता नहीं दिखाई। कम्युनिस्टों ने तो हमेशा की तरह देश को कमजोर करने की बात की। चुनाव घोषणा पत्र में परमाणु विहीन देश की भी घोषणा कर दी। चीन और पाकिस्तान परमाणु सम्पन्न देश है इसकी भी चिंता नहीं वह कभी देश की सुरक्षा और देश को मजबूती की बात ही नहीं कर सकते।

लोक सभा चुनाव के समय को लेकर भी लोगों में चर्चा रही। अंतिम चरण आते आते कई स्थानों पर चुनाव डयूटी पर गये लोगों की मृत्यु हुई मृतकों में सभी सरकारी कर्मचारी ही है चाहे चुनाव के लिये पोलिंग पार्टियों के सदस्य हों या फिर पुलिस फोर्स और होमगार्ड के जवान हों। मौसम के बारे में जानते हुए भी चुनाव आयोग ने चुनाव के लिये इसी समय को चुनना यह चुनाव आयोग की अदूरदर्शिता और संवेदनहीनता दिखाता। साथ ही सरकार या विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की। यह बहुत ही गलत कदम है। इसकी भर्त्सना की जानी चाहिये ही साथ ही यह मांग भी की जानी चाहिये कि मई और जून में चुनाव सम्पन्न न हों। चुनाव ड्यूटी के अंतर्गत जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई उनके आश्रितों को अविलंब नौकरी दी जानी चाहिए आश्रितों को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पेंशन,एक्सग्रसिया ग्रांट दी जाए।

मित्रो चुनाव समाप्त होने के बाद नई सरकार के गठन के बाद हमें कर्मचारियों , और संस्थानों की समस्याओं को दूर करने के लिये संघर्ष करना होगा। इसके लिये महासंघ, GENC और भारतीय मजदूर संघ की ओर से आंदोलन के कार्यक्रम निश्चित किये जायेंगे जिन्हें सफल बनाना है।

अभी कानपुर की अपनी यूनियन के कार्यकर्ताओं के लिये अभ्यास वर्ग कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। सभी प्रमुख स्थानों पर अभ्यास वर्ग के कार्यक्रम सम्पन्न करने है। अभ्यास वर्ग से प्रशिक्षित कार्यकर्ताओ को अपनी यूनियन के अभ्यास वर्ग भी करने है।

सदस्यता सत्यापन की कार्यवाही भी पूरी हो चुकी है परिणामनुसार JCM 4 की सीटों का आवंटन हो चुका होगा या होने वाला है इसी अनुपातिक आधार पर JCM1, 2, और 3 का भी गठन हो जाएगा। सब बन्धुओं से निवेदन है कि सदस्यता सत्यापन में जहां पर हम 15 प्रतिशत से थोड़ा कम रह गए है। वहां पर यूनियन की मान्यता के लिए दस्तावेज प्रेषित करें और फिर से सदस्यता सत्यापन की मांग करनी चाहिये।।

सदस्यता अभियान जनवरी से मार्च अप्रैल तक करते रहे हैं सभी को सघन सदस्यता अभियान करने की आवश्यकता है। यूनियन के संविधान के अनुसार यूनियन के चुनाव करके निर्धारित प्रोफार्मा पर रजिस्टार ट्रैड यूनियन को सूचित करें। एनुअल रिटर्न समय पर भरकर रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन को भेजे।

❐

शिक्षा वर्ग

शिवेन्द्र सागर शर्मा
मीडिया प्रभारी

दिनांक 25 – 26 मई 2024 को स्थान पण्डित दीन दयाल उपाध्याय विद्यालय नबाबगंज में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के द्वारा अपने कानपुर के कार्यकर्ताओ के लिए दो दिवसीय आवासीय शिक्षा वर्ग का आयोजन किया गया है , जिसमे कानपुर के समस्त विभिन्न रक्षा संस्थानों के कार्यकर्ता इस शिक्षा वर्ग में सम्मिलित हुए है ।

इस शिक्षा वर्ग के प्रथम दिन में पांच सत्र का आयोजन किया गया, जिसमे प्रथम सत्र के वक्ता के रूप में श्री राज बिहारी शर्मा, उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ ने लिया तथा भारतीय मजदूर संघ अन्य संगठनो से क्यों भिन्न है तथा आज के समय में देश का न. 1 संगठन कैसे बना इसको विस्तार से बताया ।

दूसरे सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में श्री शैलेन्द्र नाथ, पूर्व महाप्रबंधक, फील्ड गन फैक्ट्री, ने प्रशासनिक नियमो एवं कंडक्ट रूल, और विषय से सम्बंधित विभिन्न कोर्ट के आदेशों को बताया, तथा यह भी बताया की सरकारी कर्मचारी को किन–किन कार्यो से दूर रहना चाहिए, जिससे की उसकी छवि और उसके आचरण पर कोई दुस्प्रभाव ना आये ।

तीसरे सत्र में श्रम के क्षेत्र में काफी लम्बे अरसे से कार्यरत श्री सुखदेव प्रसाद मिश्र, पूर्व अखिल भारतीय महामंत्री भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, ने मार्गदर्शन किया, तथा उन्होंने वर्तमान समय में सरकार के द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों में किये गये परिवर्तन के लाभ एवं दोषों को बताया और उसके साथ– साथ विभिन्न तरह के औद्योगिक विवाद के कानूनी उपचार के विषय में विस्तार से बताया ।

उसके पश्चात चतुर्थ सत्र,श्री एहतशाम अख्तर , महाप्रबंधक, फील्ड गन फैक्ट्री में कार्यरत है, उनके द्वारा लिया गया द्य जिसमे उन्होंने वर्तमान परिवेश में आयुध निर्माणियो हेतु भविष्य के अवसरों, चुनौतियों एवं कार्य परिवेश के बारे में बताया , तथा उसके साथ – साथ देश का रक्षा क्षेत्र में क्या विजन है उसको भी बताया की हम सबको मिलकर रक्षा आयात को घटाना, तथा मिल कर निर्यात को बढ़ाना है, जिससे की देश का सर्वांगीण विकास हो सके, और आज के पांचवे एवं आखिरी सत्र को श्री साधू सिंह, महासचिव, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के द्वारा लिया गया, जिसमे उन्होंने भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के प्रारंभ से अब तक की विकास यात्रा के बारे में बताया, जिसमे संघर्ष से शिखर तक के सफर के बारे में बताया, कि इसके लिए कार्यकर्ताओं ने क्या क्या त्याग किये ।

इस शिक्षा वर्ग के दूसरे दिन में 4 सत्र का आयोजन किया गया, जिसमे प्रथम सत्र के वक्ता के रूप में श्री अनुपम जी, क्षेत्रीय संघ चालक, उत्तर मध्य क्षेत्र, राष्ट्रीय स्वयं सेवक ने संचालन किया तथा भारतीय मजदूर संघ एवम संघ के कार्य शैली और योजनाओं के बारे में बताया। जिसने कार्यकर्तृता को अपने संगठन का कार्य अपना दायित्व समझ कर और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ करने के लिए बताया। क्योंकि इसी से कार्यकर्तृता को अपने संगठन पर विश्वास बनता है और वह पूरे तन मन धन से अपनी सेवा संगठन को देता है ।

दूसरे सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में श्री अनिल कुमार उपाध्याय, महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश, और श्री मुकेश सिंह , महामंत्री , भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने लिया जिसने श्री अनिल कुमार उपाध्याय जी ने यूनियन को स्थानीय स्तर पर किस प्रकार संचालित करते है, उसके बारे में बताया, तथा यूनियन को किन किन विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उससे किस प्रकार बिना डरे, डट कर निपटना है , उसके बारे में भी बताया । साथ ही साथ औधोगिक ट्रिब्यूनल और विवाद की स्थिति , एवम धाराओं के बारे में बताया । उसके पश्चात अगले वक्ता के रूप में श्री मुकेश सिंह जी ने सभी सदस्यों को इम्प्लाइज कंपनसेशन एक्ट एवम वेवेज प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में विस्तार से बताया कि हमे किस प्रकार से कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर क्या क्या करना चाहिए , और शारीरिक अपंगता या मृत्यु होने पर कितना कंपनसेशन मिलेगा उसके बारे में बताया ।

तीसरे सत्र में मीडिया के क्षेत्र में काफी लंबे समय से कार्य कर रहे श्री महेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार जी के द्वारा लिया गया । इस सत्र में उन्होंने मीडिया के क्षेत्र में चल रहे विभिन्न साधनों के बारे में बताया, कि वर्तमान में मीडिया के प्रचार प्रसार का स्तर अत्यंत व्यापक हो गया है । उन्होंने यह भी बताया है की अब भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ को मीडिया के नए नए साधनों के साथ अपने सदस्यों को जोड़ना चाहिए, जिससे की वह पूर्ण रूप से इस नई संचार व्यवस्था के साथ जुड़ सके और संघठन के सभी कार्यों एवम आदेशो का पालन कर सके । उसके बाद उन्होंने महासंघ को यह भी सुझाव दिया की आप लोगो को अब अपना डिजिटल एप्लीकेशन बनाकर, नए संसाधनों के माध्यम से कार्य करना चाहिए, इसे पेपर की बचत और कार्य में शीघ्रता आएगी। इस पर भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महामंत्री मुकेश सिंह ने उनको आश्वासन दिया की हम शीघ्र ही अपना ऐप बना कर इस नए संचार की ओर बढ़ेंगे ।

उसके पश्चात चतुर्थ एवम अंतिम सत्र को श्री एम पी सिंह, उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ के द्वारा लिया गया । इस सत्र में श्री एम पी सिंह जी ने कार्यकर्ताओं को आवासीय शिक्षा वर्ग के बारे में विस्तार से बताता कि इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी और इसका मूल उद्देश्य क्या है उसके बारे में सभी कार्यकर्ताओं को बताया। उन्होंने यह कहा की शिक्षा वर्ग का मूल उद्देश्य अपने कार्यकर्ता का मानसिक एवम उसके कुशलता का विकास कराना है। क्योंकि जब वह अपने सदस्यों के मध्य जायेगा तब वह पूर्ण रुप से अपने संगठन के बारे में एवम उसके कार्यों को उनके बीच विश्वास के साथ अपनी बातों को रख सकेगा ।

उन्होंने यह भी बताया की भारतीय मजदूर संघ में न कोई पदाधिकारी है और ना ही कोई विशेष व्यक्ति, यहां पर सभी एक कार्यकर्ता है और जिसको जो भी दायित्व दिया जाता है वह उसे अपना दायित्व समझ कर कार्य करने लगता है ।

इसी के साथ उन्होंने सत्र समापन की घोषणा करते हुए उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए सत्र समापन की घोषणा की ।

❐

हरित घर

लक्ष्मण चन्द्रा
अ. भा. प्रभारी, पर्यावरण मंच

पृथ्वी में प्रकृति के संतुलन एवं सौंदर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि जरूरत की सभी चीजें प्रकृति से ही मिलती है। इसलिए प्रकृति का स्वस्थ, संतुलित रहना जरूरी है। इसके साथ ही प्रकृति का सौंदर्य भी जरूरी है, क्योंकि इसकी सुंदरता हमारे मन को स्वस्थ व सक्रिय रखती है। मन जितना स्वस्थ व प्रफुल्लित होगा उतना ही काम उत्साह से होगा एवं परिणाम भी अच्छा होगा।

यद्यपि प्रकृति ने स्वयं को इतना सक्षम बनाया है कि वह धरती के समस्त जीवन की रक्षा कर पाल सके, लेकिन उस प्रकृति को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है एवं इससे जो समस्या उत्पन्न हो रही है वह हमारे सामने है। अतः समय आ गया है कि हम स्वयं संभलें और प्रकृति की रक्षा के लिए प्रयास करें।

प्रकृति की रक्षा की शुरूआत हमें अपने घरों से करनी चाहिए, यह तथ्य हमसे छिपा नहीं है कि प्रकृति के स्वरूप में विकृति, पानी की कमी, उपलब्ध पानी के प्रदूषित होने, पेड़ पौधों के अंधाधुंध कटाई, एवं पहाड़ों को काटने से उत्पन्न हुई है। हमें अब न केवल बचे हुए पेड़ पौधों, पानी के श्रोतों एवं पहाड़ों का संरक्षण कर कुछ ऐसा सोचना होगा कि इनकी रक्षा हो सके, इसकी शुरूआत हमें अपने घरों से करनी होगी। हमें अपने घरों को हरा–भरा बनाना होगा। हरित घर बनाने का संकल्प लेना होगा। इस हेतु 5 काम करना होगा।

1. घर का पानी घर में 2. घर का कचरा घर में
3. घर की बिजली घर में बनें 4. घर में हरियाली हो
5. घर का खाद घर में बने

1. घर का पानी घर में – यदि हम बरसाती पानी को सहेजना सीखें इसके सहेजने से पानी की समस्या स्वयं समाप्त हो जायेगी। घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवायें, ताकि बारिश का पानी नदी, नालों में न जाकर सीधे धरती पर जाये। हमें हमारे दैनिक उपयोग के पानी को भी प्रदूषित करके बेकार नहीं करना है।

इसका समुचित उपयोग करना है। नहाने एवं बर्तन धोने के पानी का बाग–बगीचे में उपयोग किया जा सकता है। जहां बागवानी की व्यवस्था नहीं है वहां गड्ढा बनाकर इसे उपयोग किये पानी को एकत्र कर सकते है जिससे यह साफ होकर धरती पर वापस जा सके।

2. घर का कचरा में – घरों में ज्यादातर कचरा रसोई से आता है, दूसरा झाड़ू लगाने से भी कचरा निकलता है, तीसरा कचरा कागज से जैसे – सामानों के पैकेजिंग, अखबार आदि। हमें इन सभी कचरों को अलग – अलग करना होगा, धूल का कचरा – बगीचे या गमलों में डाला जा सकता है। कागज के कचरे को इकट्ठा कर रखें एवं माह में एक कर इसे रद्दी वालों को दे दें। इससे कुछ पैसे भी मिलेंगे। इसी प्रकार टूट–फूट सामान भी न फेंके इसे भी इकट्ठा करके रखें और कबाड़ी वाले को दे दें। इससे घर का कचरा घर में होगा।

3. घर की बिजली घर में बने – हम सौर ऊर्जा संयंत्र अपने घर के छत पर लगवा सकते है। सरकार इस हेत प्रोत्साहन भी दे रहा है।

4. घर में हरियाली हो – लेंटर वाले घरों की छतों में मुश्किल से आधा फीट मिट्टी लेकर देशी फूल एवं सब्जियों के पौधे लगाये जा सकते हे। साथी घर के नीचे जगह होने पर सुंदर बगीचे भी लगा सकते है।

5. घर का खाद घर में बने – रसोई घर के गीले कचरे से हम घर पर ही खाद बना सकते है। इसके लिए बाजार में विशेष प्रकार की बाल्टी मिलती है, साथ ही इसी प्रकार की बाल्टी नगर पालिका एवं नगर निगम में भी मिलती है। इस बाल्टी में गीले कचरे को डालकर घर पर ही खाद बना सकते है एवं इसका उपयोग घर के पौधों में कर सकते है।

इस प्रकार हम हरत घर का संकल्प साकार कर सकते है एवं पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचा सकते है।

.

फेंके इसे भी इकट्ठा करके रखें और कबाड़ी वाले को दे दें। इससे घर का कचरा घर में होगा।

3. घर की बिजली घर में बने – हम सौर ऊर्जा संयंत्र अपने घर के छत पर लगवा सकते है। सरकार इस हेत प्रोत्साहन भी दे रहा है।

4. घर में हरियाली हो – लेंटर वाले घरों की छतों में मुश्किल से आधा फीट मिट्टी लेकर देशी फूल एवं सब्जियों के पौधे लगाये जा सकते हे। साथी घर के नीचे जगह होने पर सुंदर बगीचे भी लगा सकते है।

5. घर का खाद घर में बने – रसोई घर के गीले कचरे से हम घर पर ही खाद बना सकते है। इसके लिए बाजार में विशेष प्रकार की बाल्टी मिलती है, साथ ही इसी प्रकार की बाल्टी नगर पालिका एवं नगर निगम में भी मिलती है। इस बाल्टी में गीले कचरे को डालकर घर पर ही खाद बना सकते है एवं इसका उपयोग घर के पौधों में कर सकते है।

इस प्रकार हम हरत घर का संकल्प साकार कर सकते है एवं पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचा सकते है।

.

❐

दोष सुधारें – गुण विकसित करें

लोकसेवी को दूसरों से संपर्क करते समय, उन्हे सत्प्रेरणाएँ प्रदान करते समय निंदा, अलोचना से हमेशा बचना चाहिए। हो सकता है कि वह आलोचना सुधार की भावना से की गई हो, पर सुनने वाले के मन पर उसकी उलटी ही प्रतिक्रिया होती है। वह उसे अपना अपमान समझने लगता है और बैर को बांध लेता है। आवश्यक लगने पर भूल को सुधारने के लिए मार्गदर्शन दिया जा सकता है।

निंदा, आलोचना से बचते हुए समीक्षा और सुझाव एकांत में दिए जायें, पर प्रशंसा सराहना करने का कोई भी अवसर हाथ से न जाने दिया जाए। सेवाकार्यों में जो भी व्यक्ति कोई सहयोग देने के लिए आते हैं उनमें अच्छे तत्वों की, परमार्थ – निष्ठा की मात्रा रहती ही है। प्रशंसा करने पर, व्यक्ति के कार्यों और उसकी निष्ठा को सराहा जाने पर उसे उन अच्छे तत्वों के विकास की प्रेरणाा मिलती है। प्रशंसा सबसे सामने की जाए, पर उस प्रशंसा के साथ यह सतर्कता रखी जाए कि कहीं प्रशंसित व्यक्ति में मिथ्याभिमान न आने लगे।

अनावश्यक प्रशंसा से व्यक्ति में मिथ्याभिमान भी उत्पन्न होता है और वह प्रशंसा – चापलूसी के स्तर की बन जाती है। प्रशंसा से व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है और वह अपना उत्कर्ष करने की ओर बढ़ने लगता है। प्रशंसा और चापलूसी की एक कसौटी है। जब किसी व्यक्ति के गुणों को सराहा जाता है, उसके कार्यो के साथ ही उसकी निष्ठा, भावना को भी संबोधित किया जाता है तो वह प्रशंसा होती है। उसे साधारण से साधारण व्यक्ति भी यह अनुभव करने लगता है कि हमें इन गुणों के कारण प्रशंसा मिल रही है। अतः इन गुणों का विकास करना चाहिए। प्रशंसा से प्रोत्साहन मिले, पर उसके कारण अहंकार न जागे, इसलिए प्रशंसित व्यक्ति की न किसी से तुलना की जाए और न ही उसके दोषों को गुणों के रूप में बखान किया जाए।

कमियाँ और विशेषताएँ सभी में होती हैं। स्वयं लोकसेवी भी पूर्णतः निर्दोष या समस्त विशेषताओं से युक्त नहीं होता। अपनी कमियों को हम जिस प्रकार दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहते है, साथ ही यह भी पसंद नहीं करते कि उनकी चर्चा सार्वजनिक रूप से हो, उसी प्रकार कोई भी अपनी कमजोरियों को सार्वजनिक रूप से चर्चित होना या सबके सामने सुनना पसंद नहीं करता। जहाँ तक हो सके अपनी ओर से उन्हे व्यक्तिगत लक्ष्य कर न कहा जाए तो ही अच्छा रहता है। सामान्य सिद्धांत के रूप में उनका विश्लेषण अलग बात है, अन्यथा व्यक्तिगत टीका – टिप्पणी के रूप में उनकी चर्चा करना संबंधित व्यक्ति के मन में कटुता उत्पन्न कर देता है। कार्यकर्ताओं को अपने दोषों को सुधारने के साथ गुणों के विकास की दिशा भी देनी चाहिए। उन गुणों के विकास को सबके सामने प्रोत्साहन दिया जाए तो लोकसेवी की सुधार–चेष्टा में और भी प्रखरता आ जाती है।

जनसंपर्क के समय शिष्ट एवं शालीन व्यवहार तथा प्रशंसा और प्रोत्साहन के साथ–साथ लोकसेवी को चर्चा–संवाद में धैर्यवान भी होना चाहिए। लोकसेवी को निश्चित रूप से लोगों तक अपनी बात पहुँचानी है। वह एक संदेश लेकर पहुँचता है, तो सब लोग उसे अपने प्रतिनिधि तथा मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसलिए वे अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को उसके सामने रखना चाहते है और लोकसेवी से यह आशा करते है कि वह उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनेगा, उनकी कठिनाइयों पर ध्यान देगा तथा उनका समाधान सुझाएगा। इस जन–अपेक्षा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए तथा न ही अपनी बात कहने के लिए उतावलेपन से काम लिया जाए। लोकसेवी जनसामान्य के पास एक संदेश लेकर पहुँचता है, संदेश सुनाया जाए, अपनी बात कही जाए, पर कहने की सार्थकता तभी सिद्ध होगी, जब सुनने वाला सुनने के लिए तैयार हो।

संतुलित जीवन शैली से तन-मन को रखें स्वस्थ

आधुनिक युग की आपाधापी का प्रभाव एवं परिणाम है – कई प्रकार की बीमारियाँ। लाइफ स्टाइल डिसआर्डर, मेंटल डिसआर्डर आदि विकृतियाँ इसी की परिणति हैं। शारीरिक एवं मानसिक सामर्थ्य की कमी या अधिकता से ही ये विकार एवं विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। सामर्थ्य कम हो और काम की अधिकता हो तो शरीर एवं मन इस दबाव को सहन नहीं कर पाते हैं। लंबे समय तक यदि यह दबाव बना रहे तो ये विकृतियां घर कर जाती हैं। जीवनवशैली में असंयम एवं अनियमितता आने पर भी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। आधुनिक युग की इस महामारी से बच्चे से लेकर जवान–बूढ़े सभी आक्रांत हैं।

सामर्थ्य के अनुरूप ठीक – ठीक कार्य करन सभी विकृतियों से मुक्ति का प्रमुख कारण है। भगवान बुद्ध ने इसे सम्यक शब्द से निरूपित किया है। सम्यक अर्थात ठीक – ठीक। जितनी सामर्थ्य है, उतना ही कार्य, जितना हम कर सकते है, उतना ही कार्य करना। गीता में इसे 'मुक्त' कहा गया है। यह भी सम्यक के अर्थ के समान प्रतीत होता है। सभी योगी कर्ममुक्त होते हैं। अर्थात सामर्थ्य के अनुरूप ही कार्यों का निर्वहन करते हैं। योगी कहते हैं कि अपनी सामर्थ्य से कम कार्य करना तमोगुणी प्रवृत्ति का प्रतीक है, जबकि इससे अधिक कार्य का दबाव झेलना रजोगुणी प्रवृत्ति कहलाती है। तमोगुणी कार्य से विमुख हो जाता है, जिसके कारण आलस्य और प्रमाद घेर लेते हैं। वह गहरी उदासी में चला जाता है। रजोगुणी कार्य की अधिकता के कारण अत्यधिक सक्रिया हो जाता है। इसे अपने बारे में सोचने – करने का समय ही नहीं मिल पाता है।

अपने अनुरूप एवं अनुकूल ठीक ठीक कार्य का संपादन सात्विकता का गुण है। जितनी क्षमता है उतना ही कार्य करना, न उससे अधिक और न उससे कम। सतोगुणी व्यक्ति दो अतियों के बीच संतुलन बनाता है। संतुलन के कारण ही वह सभी कार्यों को समय पर मनोयोगपूर्वक संपन्न करता है। इससे शरीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का हास नहीं होता है, बल्कि गुणात्कम विकास होता है। सतोगुणी मनचाहा काम करता है और यह सच भी है कि वह हर कार्य को मनोकूल बना लेता है। मनचाहा काम वह है, जिससे लक्ष्य की देहरी तक पहुँचने में आसानी होती है और यह उसका सहयोगी होता है। यह ऐसा कार्य है, जिससे अपने स्वर्णिम भाग्य के निर्माण एवं निर्धारण करने में सहायता मिलती है। सतोगुणी काम को खेल मानकर करता है। इस मान्यता से वह केवल कार्य के वर्तमान स्वरूप पर अच्छा करने के लिए सोचता है, उसके परिणाम पर ध्यान नहीं देता है। परिणाम को ध्यान में रखकर करने वाला रजोगुणी होता है और परिणाम को अच्छा–बुरा प्रभाव उसको प्रभावित करता है। तमोगुणी काम को करने से पूर्व ही नकारात्मकता से भर जाता है और भावी समस्याओं के प्रति भयग्रस्त होकर काम ही नहीं करता।

सतोगुणी कार्य की गंभीरता को जानता है। वह जानता है कि जीवन का रहस्य संघर्षों से भागना नहीं, वरन उनसे डटकर मुकाबला करना है। आसान विकल्प को चुनने और बिना संघर्ष के जीने की बहुत भारी कीमत चुकान पड़ती है और यह कीमत होती है – अपने लक्ष्य, उद्देश्य एवं कल्पना को कभी भी उपलब्ध न कर पाने की। निश्चय ही यह बड़ी भारी कीमत है, जिससे निराश–हताश व्यक्ति चुकाते हैं। सतोगुणी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योकि वह जीवन से हताश – निराश नहीं होता है। उसका मानसिक एवं शारीरिक, दोनों प्रकार का स्वास्थ्य ठीक होता है। व्यतिक्रम तो अतिमहत्वाकांक्षी एवं कुंठित व्यक्ति के जीवन में आता है। इन दोनों तरह के व्यक्तियों का शारीरिक एवं मानसिक सुंतुलन गड़बड़ रहता है और इन्हे विभिन्न प्रकार के रोग – शोक घेरे रहते है। इनकी जीवनशैली ठीक न रहने पर ही उनमें लाइफ स्टाइल डिसआर्डर जैसे रोग पनपते है।

तमोगुणी में जीवन के प्रति सघन निराशा – हताशा एवं कुंठा झलकती है, जबकि रजोगुणी प्रवृत्ति का व्यक्ति अतिमहात्वांकांक्षी एवं आवश्यकता से अधिक सक्रिय रहता है। एक हाइपोएक्टिव है तो दूसरा हाइपरएक्टिव होता है। हाइपोएक्टिव व्यक्ति डिप्रेशन आदि रोगों से आक्रांत होता है तो हाइपरएक्टिव व्यक्ति स्ट्रेस, एंक्जाइटी, मैनिया आदि विकारों से घिर जाता है। काम न करने वाले व्यक्ति का शरीर सुस्त रहता है और मन में दुर्गुणों, व्यसनों एवं नकारात्मक सोच का जमघट रहता है। बहुत कुछ पाने वाले बहुत काम करते है, परिणामस्वरूप उनका शरीर सदैव तनावग्रस्त रहता है। मन में विचारों का तूफान मचलता रहता है। उन्हे इच्छाएँ एवं महत्वाकांक्षाएँ सालती रहती है। हॉर्मोन एवं न्यूरोट्रांसमीटर अधिक श्रवित होते है। इस प्रकार उन्हे स्ट्रेस के कारण आधुनिक रोग आक्रांत कर लेते है। इससे शरीर एवं मन में अत्यधिक दबाव बना रहता है।

डच फिजिशिन जे. जे. ग्रोन ने ऐसे दोनों प्रकार के व्यक्तियों का अध्ययन किया। ग्रोन के अनुसार काम से भागने वाले व्यक्ति, कामचोर एवं आलसी होते है। इनको दिवास्वप्न, ख्याली पुलाव, बड़ी बातें बनाना आदि में आनंद आता है। ये समय बिताने के लिए व्यसन का आश्रय लेते है, क्योकि ये श्रम करते नहीं है, जिससे इनका समय कटता नहीं है। ऐसे व्यक्तियों में निराशा, हताशा – कुंठा घर कर जाती है ओर ये जीवन से इतना ऊब जाते है कि इनको पीवन दुःखों का घर एवं यातनापूर्ण लगने लगता है। इससे पलायन करने के लिए ये आत्महत्या जैसे हथकंडे अपनाने लगते है।

प्रख्यात मनोवैज्ञानिक कोबासा के अनुसार 'अति महत्वाकांक्षी' व्यक्ति का मन चंचल, अस्थिर तथा शरीर कार्य के दबाव के थका हुआ रहता है। ये किसी भी कार्य को अतिशीघ्र कर लेना चाहते है, ताकि दूसरे कार्य को भी कर सकें। इनमें एक कार्य

को करने से पहले, दूसरे कार्य को शुरू कर लेने की अति उत्साही प्रवृत्ति होती है। अतः इनके कार्य की सफलता संदिग्ध रहती है, क्योकि हर कार्य की समग्र सफलता क लिए शरीर एवं मन दोनों का साथ रहना अनिवार्य आवश्यकता है। इनमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय रहता है। यह सक्रियता इनके शरीर और मन के बीच असंतुलन पैदा करती है।''

काम करना चाहिए। कठोर काम करना चाहिए, परुतु अति कहीं भी नहीं होनी चाहिए। काम संतुलित ढंग से करना चाहिए। काम न करने की मनोवृत्ति से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियाँ हानिप्रद हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करने की शैली अपनानी चाहिए। सबसे पहले अति आवश्यक कार्य को करना चाहिए और अंत में कम प्रमुख काम पर ध्यान देना चाहिए। काम के साथ समय का संतुलन भी एक बड़ा कारण है। नियत समय में संपन्न कार्य अत्यधिक प्रसन्नता प्रदान करता है और कार्य के प्रति उत्साह जगाता हे। मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्सक तो यहाँ कहने लगे हैं कि संतुलित, समयपूर्वक एवं योजनाबद्ध ढंग से किया गया कार्य अनेक प्रकार की बीमारियों से निजात दिला सकता है। कार्य का दबाव ही ऐसे रोगों का कारण है। अतः इनसे बचना चाहिए, ताकि शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बरकरार रह सके।

❐

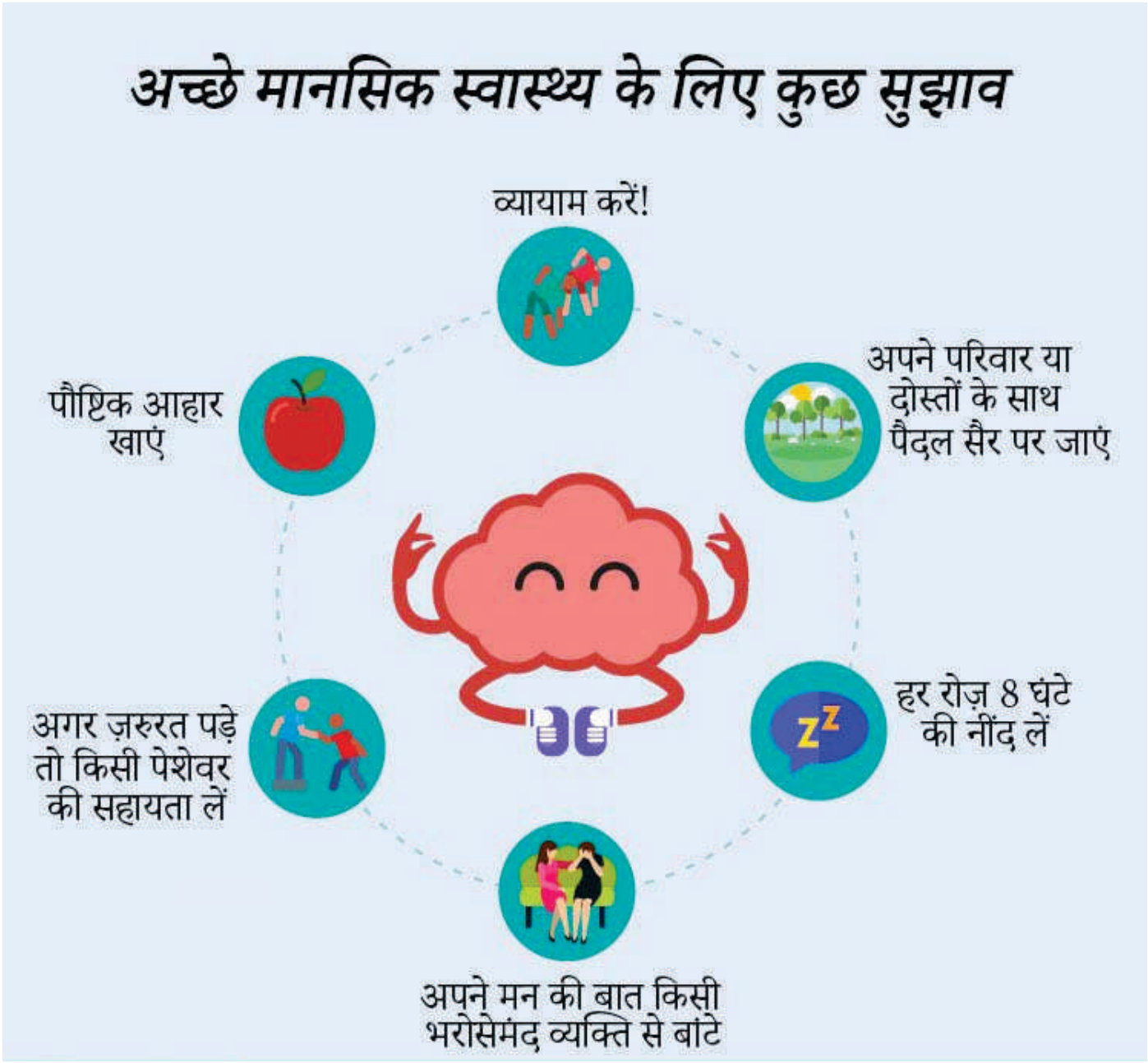

श्रमवेद के निर्माताः मा. दत्तोपंत ठेंगड़ी

राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक सभी क्षेत्रों में सुस्पष्ट मार्गदर्शन करने का सामर्थ्य भारतीय जीवन पद्धति में है। उसमें मानवता है। जनता में नया उत्साह निर्माण करने का सामर्थ्य भारतीय विचारधारा में है। संभ्रमावस्था में जीवन यापन करने वालों का मार्गदर्शन करने का सामर्थ्य भारतीय तत्वज्ञान में है। इसका गहरा सर्वव्यापी अध्ययन करने के बाद मा. दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के मन में भारतीय मजदूर संघ की वैचारिक पृष्ठभूमि निर्माण हुयी। इन सभी का सूक्ष्मातिसूक्ष्म अध्ययन कर 17 नवम्बर 1969 में भारतीय मजदूर संघ की करोड़ों लोगों की ओर से एक राष्ट्रीय माँग पत्रक राष्ट्रपति डॉ. वी.वी. गिरी को प्रस्तुत किया। इस माँग पत्रक का पूरा अध्ययन करने के बाद यह अनुभव होता है कि यह माँगपत्र सभी क्षेत्र के सभी पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक अत्यन्त संक्रमण का काल था क्योंकि राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा अह्वान सरकार को प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय श्रमनीति का पुनर्निर्धारण इसी अह्वान से होना था। यह माँग पत्र इतना बहुआयामी था कि देश के सभी वर्गों का इसमें समावेश था। सभी मजदूरों की आकाँक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला यह माँगपत्र था जिसमें मजदूरों के कर्तव्य और अनुशासन का भी उल्लेख किया गया था। इसमें एक सत्य यह भी था कि श्एक वर्ग विशेष की माँग में भी जनसंख्या के दूसरे वर्ग का कर्तव्य और अनुशासन निहित है। इस माँग पत्र में समाज के सभी वर्गों (All Organs of Society) का अन्तर्भाव होता था। निजी विनियोजक और राज्य सेवा प्रदाता और प्रबन्धक इन सभी का प्रमुख लक्ष्य सामाजिक तथा आर्थिक विकास है। विभिन्न विभागों के घटक या सामाजिक संस्था (लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट संस्था), विश्वविद्यालय, मीडिया, सामाजिक संस्थाओं इन श्रमिकों के प्रति विशिष्ट कर्तव्य है। जो उन्हें पालन करना चाहिये। इन सभी बिन्दुओं को सर्वसमावेशक राष्ट्रीय माँगपत्र में रखा गया था तथा समाज के सभी वर्गों से इसे जोड़ा गया था। इसलिये राष्ट्रपति महोदय ने इस मांगपत्र को श्श्रमवेदश से संबोधन से गौरवान्वित किया था तथा इस वेद के निर्माता ऋषिवर मा. दत्तोपंत जी थे।

प्रथम परिचय–

नागपुर में संघशिक्षा वर्ग 1962 में जब मैं तृतीय वर्ष शिक्षार्थी था। तब उसके बौद्धिक से तथा वर्ग के दरम्यान एक बैठक में परिचय दृढ़ हुआ। उस समय मैं बी. काम. पार्ट–दो का छात्र था। मैंने उनसे यह प्रश्न पूछा कि औद्योगिक अर्थशास्त्र में अन्य श्रमिक संगठनों के साथ सूची में भारतीय मजदूर संघ का नाम क्यों नहीं है? उस समय उन्होंने कहा था हमारा काम इतना अधिक नहीं है। इसलिये नहीं है। लेकिन निकट भविष्य में मजदूर क्षेत्र में देश हित, मजूदर हित और उद्योग हित इस त्रिसूत्री पर भारतीय मजदूर संघ निश्चित रूप से बढ़ेगा और बाद में मजदूर संघ प्रथम क्रमांक का संगठन बना। यह अगाध विश्वास उनके बोलने में था। बैठक में मुझे उन्होंने पूछा–आप क्या बनना चाहते हो ? तब मैं बोला मैं प्राध्यापक बन कर Ph-D करना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा आप प्रयास करो निश्चित सफल होगे। मैंने उनके इस कथन को उनका आशीर्वाद माना और शिरोधार्य किया। आज न केवल Trade Union विषय को लेकर मेरा Ph-D हुआ तथा इस विषय को लेकर मेरे मार्गदर्शन में 21 विद्यार्थियों ने भी इस विषय का अध्ययन कर Ph-D प्राप्त की है।

महाल में दक्षिणामूर्ति चौक नागपुर में हमारा मकान था। मेरे

बड़े भाई श्री बलूजी हड़प और मैं उसमें रहते थे। एक दिन श्री आबाजी पुराणिक और मा. दत्तोपंत जी हमारे घर के सामने से गुजर रहे थे। NOBW का कार्यालय गांधी गेट के नजदीक लघाटे बिल्डिंग में था। शॉर्ट कट होने से पैदल जा रहे थे। यह घटना 1964 की है। उस समय मैं एम. कॉम. पार्ट–1 में पढ़ रहा था। वे दोनों घर आये। संघ शिक्षा वर्ग की मुलाकात उन्हें याद थी। उन्होंने मुझे पाठ्य–विषय पूछा–मैंने Labour and Urban Problem in India ऐसा बताने के बाद Ph.D इसी विषय से करो ऐसा मुझे सुझाव दिया था। वह दिन आज भी मेरे स्मरण में है। तब से मैंने ट्रेड यूनियन्स पर अनुसंधान करने का ठान लिया। 1966 में लाखनी में अर्थवाणिज्य का प्राध्यापक बना और Ph-D का विषय 'स्टडी ऑफ ट्रेड यूनियन्स इन जिनिंग प्रेसिंग एण्ड कॉटन टेक्सटाईल इन्डस्ट्री इन विदर्भ– 1870 से 1970 लिया और काम करना शुरू किया। इसमें माननीय गोविंद राव आठवले जी का सहकार्य रहा। उस समय मैं नागपुर की संघ की संती शाखा में मुख्य शिक्षक था। किसी के भी घर वे सहजता से जाते थे। और अपनी अलग ही छाप छोड़ते थे। उसका अनुभव मैंने लिया। 1967 में नागपुर के संघ शिक्षा वर्ग में शिक्षक था उस समय भी मुलाकात होती थी और उनसे संदर्भ ग्रंथों के नाम भी मिलते थे। कार्यकर्ता के ह्रदय में कोई बात कैसे डालना और उसे उसके लिये प्रेरित कैसे करना इसका अनुभव मैंने संघशिक्षा वर्ग में मा. दत्तोपंत जी के सान्निध्य में लिया।

1971 में मैं मुबई में Ph.D के कुछ संदर्भ के लिये तीन महीने गिरगांव के संघ कार्यालय में था। भारतीय टेक्सटाईल संघ के कार्यालय में दादर गया। वहाँ मा. दत्तोपंत जी से भेंट हुयी। उन्होंने मुझसे पूछा आप किनसे मिले–उसमें दत्ता सामंत, दत्ता देशमुख, बगाराम तुळपुळे नि. शा देशपांडे होसिंग, किशोर देशपांडे, जॉर्ज फर्नांनिंडीश आदि थे। उनके कार्य का ट्रेड यूनियन्स पर क्या असर था। मिल मैनेजमेंट तथा लेबर कमिश्नर से भी मिलने की सलाह दी। उनके साथ मई में मुंबई से पूना में ट्रेन में गया था। ट्रेन में भी उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। पूना के संघ कार्यालय में मोतीबाग में मैं तीन दिन था। उस समय मैं विद्यार्थी परिषद के काम में था। 1977 में चे.क होने के बाद मा. गोविंदराव आठवले के आग्रह के कारण संघ की आज्ञानुसार भंडारा जिला भा.म. संघ का संगठनमंत्री के नाते दायित्व 1978 में प्राप्त हुआ और मेरे अनुसंधान का उपयोग होने का अवसर प्राप्त हुआ।

विदर्भ प्रदेश की एक बैठक में उन्होंने कहा था। भारतीय मजदूर संघ का हर एक कार्यकर्ता संगठन करने के प्रयत्न में जुटा रहता है। क्योंकि वह ध्येयवादी है, आदर्शवादी है। अन्य लोगों के समान कार्य करते समय उसकी कुछ त्रुटियाँ होंगी भी किन्तु उसकी अपने ध्येय के साथ उसकी एकात्मकता है और ध्येय का अखंड चिंतन है तो इन त्रुटियों का परिमार्जन भी होगा। इस कारण वह केवल श्स्वयंश के विषय में विचार करना भी भूल जाता है। 'मैं' 'मेरा' आदि समाप्त हो जाता है और यदि ऐसे व्यक्ति हैं तो फिर स्वाभाविक रुप से भा.म. संघ का काम निश्चित रूप से बढ़ेगा। ध्येय अच्छा होते हुये भी कार्यकर्ता में ध्येय के प्रति आत्मसमर्पण की भावना रही तो कार्य में दोष पैदा होने की संभावना नहीं रहती। बैठक में उन्होंने कहा कार्य का आरंभ स्वयं से करो, अपना संगठन यदि हम ठीक करे तो बाकी सब बातें ठीक हो सकती हैं। इससे कार्यकर्ताओं का मास्टर माइन्ड ग्रुप अच्छे से बन सकता है जो दूसरे के साथ तालमेल बराबर बैठा सकता है।

कार्यकर्ताओं की बैठक में एक बार उन्होंने पूछा था किन कार्यकर्ताओं को भा.म.सं. के कारण घर में समय न दे सकने से गाली खाना पड़ती है? उत्तर में उन्होंने कहा कि यदि घर में ऐसी गाली खानी पड़ती है तो यह अच्छे कार्यकर्ता का लक्षण है। उसी समय बैठक में उन्होंने कहा जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, वहाँ की चाय की टपरी, पान की टपरी, या होटल, मोची, सायकल रिपेरिंग शॉप, हेयर कटिंग सैलून सभी से अपने कार्यकर्ता का सम्पर्क होना चाहिये तभी हमारा व्यवहार और कार्य साथ बढ़ने में मदत मिलेगी। प्रातः की बैठक हो, अभ्यास वर्ग हो, अधिवेशन हो उनका हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता था। हरेक बार उनसे नई–नई जानकारी मिलती थी उससे कार्य प्रवणता बढ़ती थी।

1987 इंडियन लेबर इंस्टिट्यूट द्वारा कलकत्ता में एक सप्ताह की ट्रेड यूनियन लीडरशिप कार्यशाला थी। उसमें भा.म.सं. की ओर से मुझे भेजा गया था। वहाँ से वापस आने के बाद जब उनसे मुलाकात हुयी तब वहाँ की पूरी जानकारी उन्होंने मुझसे ली और बड़े एकाग्रता के साथ करीब एक घंटा सुनकर विस्तृत जानकारी ली। और बाद में पूछा– वहाँ आये हुये अन्य यूनियन वालों से बाद में संपर्क रखा है क्या? सबके साथ अपने व्यवहार से ही भा.म.सं. के कार्यकर्ता की पहचान होती है यह उनका मानना था।

1988 से 2001 तक 13 साल नागपुर के तरुण भारत में मैं कामगार जगत् स्तम्भ हर सप्ताह तरुण भारत के सौजन्य से लिखता था। जब उनसे नागपुर में संघ कार्यालय में या भा.म.सं. की बैठक में मुलाकात होती थी तब वे मुझे कहते कि मैं कामगार जगत् पढ़ता हूँ। आप देश हित, मजदूर हित और उद्योग हित भा.म. सं. की इस त्रिसूत्री आधारित लिखते हो लेकिन कुछ शब्द सम्हालकर इस्तेमाल करते जाइये ऐसा मुझे उन्होंने बडोदरा के अ. भा. अधिवेशन के समय भेंट होने पर बताया था। कितनी बातें वे ध्यान में रखते थे और कार्यकर्ताओं का उत्साह कैसे बढ़े इसकी ओर उनका हमेशा ध्यान रहता था।

मेरा मा. दत्तोपंत जी ठेंगड़ी से विद्यार्थी जीवन से संपर्क रहा। मेरे लिये तो दत्तोपंत जी पारस के समान थे। मेरी कार्यप्रवणता उनके मार्गदर्शन से ही आज तक बनी रही है। कार्यकर्ताओं से संपर्क, जानकारी, कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह, उमंग पैदा करने में उनकी क्षमता अलौकिक थी। उन्होंने सही मायने में श्श्रमवेदश को सबके सामने जीकर प्रस्तुत किया।

❐

Environment

Shradhey Dattopant Thengadi
(View on Environment Extract from third way)

Shrimati India Gandhi gave pleasant surprise to the world environmentalist meet at Stockholm (1972) when told them that her country had been ecology conscious right from the early Vedic period.

That has not been the case with the West.

Probably, the concern for conservation of Nature was expressed for the first time in English literature by W. H. Hudson in his "Green Mansion" published in 1904. But it was only a novel, a tropical romance, not a scholarly thesis.

After a long experience in high - tech industrialisation, some western thinkers have now come to conclude that western technology is eco-destructive and socially disintegrative. It is Nature-destructive and society - disintegrative because it has only one goal - industrialisation. The modern Cartesian reductionist philosophy has pitted man against Nature as if man himself is not part of nature. It permits ruthless destruction of Nature in the service of the ever-growing appetites of man. The result is serious depletion of natural resources, grave disturbance of the eco-system and a level of pollution that is increasingly endangering all life - forms.

The modern industrial system consumes tremendous amounts of non- renewable raw-materials and energy source. Progressively greater utilisation of renewable energy sources and renewable materials is not feasible under the modern system and this results in the pollution of air and water. The system discourages evolution of the region-specific technologies which can utilise locally available resources to satisfy local needs using technical and managerial skills of local people.

The pollution per inhabitant in the upper fifth of the world is about fifty times more than the other four-fifth and full industrial development of underdeveloped countries might raise the world pollution rate to a level at which it might wipe off the major part of the world's population.

The oxygen requirement of the technosphere of industrial society is at least fifteen times that of a normal bio-sphere.

Similarly, if the developing countries come to the level of developed countries, some of the key metals

Shrimati India Gandhi gave pleasant surprise to the world environmentalist meet at Stockholm (1972) when told them that her country had been ecology conscious right from the early Vedic period.

That has not been the case with the West.

Probably, the concern for conservation of Nature was expressed for the first time in English literature by W. H. Hudson in his "Green Mansion" published in 1904. But it was only a novel, a tropical romance, not a scholarly thesis.

After a long experience in high - tech industrialisation, some western thinkers have now come to conclude that western technology is eco-destructive and socially disintegrative. It is Nature-destructive and society - disintegrative because it has only one goal - industrialisation. The modern Cartesian reductionist philosophy has pitted man against Nature as if man himself is not part of nature. It permits ruthless destruction of Nature in the service of the ever-growing appetites of man. The result is serious depletion of natural resources, grave disturbance of the eco-system and a level of pollution that is increasingly endangering all life - forms.

The modern industrial system consumes tremendous amounts of non- renewable raw-materials and energy source. Progressively greater utilisation of renewable energy sources and renewable materials is not feasible under the modern system and this results in the pollution of air and water. The system discourages evolution of the region-specific technologies which can utilise locally available resources to satisfy local needs using technical and managerial skills of local people.

The pollution per inhabitant in the upper fifth of the world is about fifty times more than the other four-fifth and full industrial development of underdeveloped countries might raise the world pollution rate to a level at which it might wipe off the major part of the world's population.

The oxygen requirement of the technosphere of industrial society is at least fifteen times that of a normal bio-sphere.

Similarly, if the developing countries come to the level of developed countries, some of the key metals

and minerals would be exhausted well within the next hundred years.

Recently, the Vienna-based International Atomic Energy Agency's 'Annual Overview and Outlook of Nuclear Safety' for the year 1988 has observed that despite more than 5,000 reactors and years of nuclear power experience and fairly satisfactory public safety record, widespread public concern that nuclear power is too risky still persists. Among the major public concerns regarding an apprehended nuclear disaster, the review listed irregularities in radio- active waste management and transport, aircraft-crashes, an earthquake in the vicinity of nuclear plants, concern about nuclear accident risks and pollution at military nuclear facilities.

Afforestation is helpful in retaining moisture in air, in purifying air and in fixing soil. It maintains balanced bio-environment and provides forest products to Vanavasis and wood and other necessities of life to adjacent villages. Presently, there is talk about raising forest cover to 33% of the land. But even this move is being opposed.

In modern Bharat, the awakening on this issue is recent. Chipko movement, Silent Valley movement, etc., are healthy signs of public awareness; but unfortunately, it is about to take the form of a war between environmentalists and developmentalists. Consequently. there can be no unanimity even on the problem of afforestation; and forest degradation upto eight per cent of our land has made life miserable for millions of Vanavasis.

In a vast and populous country like Bharat, the only effective way of ensuring desired results in this respect is to conduct extensive public education on this issue. Even legal measures will not be of much use. For example, what will be the fate of the proposal for amending the Companies Act to compel companies to include annual environment audits in their balance sheets? If implemented, the proposal will require companies to record their own violations of environmental laws and the corrective measures taken.

The State Pollution Control Boards will then order further inquiries or action. Delinquent companies would

be easily able to embellish their environment audits as they do their balance sheets. The mandatory creation of posts of Chief Environment Officers presiding over environment cells in industrial units may not succeed. Industrialists know how to deal with such officers. It is good that appeals against the judgments of the proposed environment tribunals will lie only to the Supreme Court; but the impact of the tribunals will depend on how stringently they conduct their work.

At present environmental clearance by the State authorities is a mere formality. All that the entrepreneur has to do is to promise that he will install the necessary pollution control equipment. Whether he actually uses the equipment or even installs it, is rarely verified. This makes a mockery of any industrial policy identifying a list of industrics which require environmental clearance before their letter of intent could be converted into an industrial licence.

It was good to enjoin that any industry, whether in the private, public or small scale sector, producing primary metallurgical products, refineries, fermentation industry and electro-plating industry would first have to satisfy the State Director of Industry that the project has been approved from the environmental angle by the competent State authority (which is the State Pollution Control Board) before a licence could be granted. All projects having capital outlay of over Rs.20 crores which have to come up before the Public Investment Board, should have to get environmental clearance from the Union Ministry of Environment as well. The government also issued a set of environmental guidelines for siting of industries. It specified the areas that should be avoided altogether such as ecologically sensitive arcas including game reserves and national parks. A minimum distance of 25 km. is to be maintained between such a site and a polluting plant even if it has efficient environmental control equipment. It was also stressed that in determining the location of such highly polluting plants, consideration must be given to other kinds of fall-out on the environment from siting such a plant in the area, and not just the polluting potential of the plant itself. For instance, in the case of Numaligarh (Assam), it was obvious that the vehicular traffic on the National Highway, which goes past the Kaziranga sanctuary, would increase so dramatically that regardless of the distance of Numaligarh from the sanctuary, vehicular pollutants alone would have a damaging effect on plant life in the national park.

This is all good, so far as it goes.

The real difficulty arises at the implementaion stage.

Firstly, the motivation of the government whether the government is willing to envisage the delay and the additional costs that inevitably accrue when projects have to go through the process of such detailed environmental appraisal, or whether, in the interests of encouraging growth, it will ease up on these provisions. For example, the recommendations of the Site Appraisal Committee are often rejected. The Committee's recommendations have been overruled in the cases of the location of the dam in Tehri, which the Committee had rejected, the 500 MW thermal power plant in Dahanu, and the 300,000 MT gas cracker plant at Thana.

Secondly, several provisions of law have loopholes which can be exploited by the interested parties. There could be competition between the states to facilitate industrial growth and the provision that a flexible location policy would be adopted in respect of such cities (with population greater than one million) which require 'industrial regeneration' would come in handy. Who will determine which city requires industrial regeneration? The Maharashtra Government, which has already declared that it is willing to relax location norms to encourage industrial growth, might decide that Bombay needs 'industrial regeneration'. Again, what happens in the case of units where the expansion exceeds the original installed capacity by as much as 300 per cent? There are many other loopholes of this type.

Thirdly, industrialists are masters in the art of converting 'illegal evasion' into 'legal avoidance'. And it seems that the government may opt to issue environmental guidelines and leave it to the entrepreneurs to abide by them rather than create environmental hurdles which they must overcome before they can begin manufacturing. If this happens it would spell disaster, since our industrialists are least worried about environmental laws - their only object being profit.

Fourthly, the existing provisions are not adequate. A number of situations which require legal provisions for this purpose did not get legislative attention.

❐

Unauthorized Absence

To be continued.....April 2024

[D.G, P. & T.'s Letter No. 105/63/79-Disc. II, dated the 5th November, 1979. 1

(2) Distinction between condonation of unauthorized absence for pension and for other purposes.- It needs to be pointed out that the principles to be adopted for condonation of break in service for purposes of pension and that for purposes of other disabilities enumerated in FR 17-A are different. The fact that break in service has not been condoned for purposes of Leave Travel Concession, quasi-permanency and eligibility to appear at departmental examinations should and need not influence adversely in deciding the question of condonation of break for counting the past service of the official for purposes of pension. It is not the intention of the Government to deny the pensionary benefits to the employees in all cases of break of service. If necessary, the appointing authority may in its discretion not condone the break in service on account of unauthorized absence for purposes of pension only in exceptional and grave circumstances and not as a matter of course. The question of condonation of break in service for the purpose of Pension Rules may be considered suo motu without waiting for a representation from the affected officials and orders issued so that the retired employees are not put to financial hardship.

[D.G, P. & T.'s Letter No. 14/12/82-VIG. III, dated the 23rd September, 1982.]

(3) Heads of Circles in Posts and Telecom Departments to decide representations and guidelines therefor.- Representations for condonation of breaks and concomitant disabilities were hitherto being considered and decided by Member (A) on behalf of P & T Board. The matter has been examined afresh and it has been decided that henceforward representations for condonation against such break in service could be decided by Heads of Circles who have been delegated the powers of Head of Department under SR 2 (10). While deciding such representations either in favour or against, the following guidelines may be kept in view:-

(i) In no case the condonation of break in service should be considered as a routine matter. A break in service shall not be condoned except on receipt of a formal representation from the employee concerned about the said absence.

(ii) The absentee in this representation should have

expressed unquali- fied regret with an assurance that he will not be indulging in such conduct in future.

(iii) After the receipt of such apology, the competent authority may even consider watching the work and conduct of the petitioner for some time before taking its decision on the prayer for condonation.

(iv) There was indeed a grave provocation from an outside factor for such unauthorized absence.

(v) The departmental superiors had shown certain callousness or indifference to any genuine complaint brought to their notice by the members of the staff which resulted in such unauthorized absence.(In case of doubt, the Heads of Circles may consult in confidence some of their counterparts with a view to ensuring certain amount of uniformity in practice.)

(vi) Non-condonation of break in service under FR 17-A should not be the guiding factor for non-condonation of break in service for purposes of Pension under Rule 27 of the Pension Rules.

Earlier, it was pointed that strike is a strike even if it is for five minutes. Duration is irrelevant. While there is no doubt that strike even for a few minutes is a strike for

the purpose of Rule 7 of the CCS (Conduct) Rules, the Heads of be rigid Circles need not be rigid in in their stand for condonation of break, subject to the fulfilment of the aforesaid conditions, if the duration of absence is short.

The aforesaid guidelines are only indicative in nature and not complete and comprehensive and have been prescribed to provide a broad parameter to enable the Heads of Departments to decide such representations. It is requested that all pending and future representations may be decided by the competent authority on their own merit and in the light of the factors outlined above.

[D.G, P. & T.'s Letter No. 14/12/82-Vig. III, dated the 23rd April, 1983.]

(4) No disabilities under FR 17-A in regard to efficiency bar, promotion and special pay / allowance.- 1. It has been reported by the Service Unions that crossing of Efficiency Bar has been denied to officials, who have been issued orders under FR 17-A. According to these Unions, in many circles promotions have been held up and special allowances and special pay have also been withdrawn.

2. The matter has been examined and it is clarified

that as far as crossing of efficiency bar is concerned the disabilities under FR 17-A should not stand in the way of an official if he is otherwise found suitable to cross Efficiency Bar. Special pay and special allowances should not be withdrawn merely on the ground that FR 17-A has been invoked.

3. Interruption or break in service under FR 17-A has the following disabilities:-

Leave Travel Concession;

Quasi-Permanency; and

Eligibility for appearing in Departmental examinations for which a maximum period of continuous service is required.4. Promotion of employees can be by way of consideration by DPC and/or qualifying in Departmental Examinations. If, in the case of an employee, promotion is dependent on passing a qualifying examination, for appearing in which a minimum period of continuous service has been prescribed and in his case FR 17-A has been invoked, it would have an indirect effect on his promotion. Though promotion by DPC and Departmental examination do have some similarities, it is not the intention that break in service under FR 17-A should affect promotion through normal DPC.

[GI., Dept. of Posts, Lr. No., 137-13/85-SPB-II, dated the 19th August, 1986. 1

(5) **Permission to appear in departmental examination not allowed only when FR 17-A disabilities are imposed.**- 1. This is further to clarify that according to the existing instructions where notice has been issued to the concerned officials for imposition of disabilities under provision of FR 17-A and final order imposing disabilities are yet to be issued, provisional permission may be granted for the concerned officials to appear in the departmental examinations if they are otherwise eligible. The announcement of the result of examination for the concerned officials would, however, depend on whether disabilities under FR 17-A are imposed on them or not after due consideration of their response to the notice.

2. However, in cases where disabilities under the provisions of FR 17-A have been imposed and appeals submitted by the concerned officials are pending disposal by the competent authority, no permission to appear in departmental examination can be given, unless and until the disabilities are removed by the order

on the appeal and they are otherwise found eligible.

[Dept. of Posts, Letter No. 137-15/89-SPB-II, dated the 16th October, 1989.]

❐

Government ORDERS

सत्यमेव जयते

No.AN/XIV/14153/III/HRA/Vol-XII Controller General of Defence Accounts Dated - 20.05.2024

Subject : Revision of rates of HRA with DA increased to 50%

Reference is invited to this HQrs. office circular no. AN/XIV/19105/Govt. Orders/2019 dated 10.04.2024 on Revision of rates of allowances with DA rates increased to 50%

2. A few reference have been received in this HQrs. regarding revision of rates of HRA.

3. The matter has been examined and it is clarified that rates of HRA for X, Y and Z Class of cities may be revised to 30%, 20%, 10%, respectively w.e.f. 01.01.2024 based on the increase in DA rates to 50%

No.AN/III/3019/SPARSH Controller General of Defence Accounts Dated - 20.05.2024

Subject : Restructuring of SPARSH Service Centers (SSCs) functioning at DPDOs- Change in Administrative and Functional Control.

Superseding the HQrs previous letters No. PENS-570203/3/2023/PCDA/CDA dated 11.01.2024, PENS-570203/3/2023/RTC dated 11.01.2024 and PENS-570203/4/2023 dated 31.01.2024, it is intimated that with the migration of pensioners borne on the strength of Defence Pension Disbursement Office (DPDOs) to SPARSH module, the role of DPDOs is now restricted to SPARSH Service Centers (SSCs) for providing various services to pensioners and to address their grievances.

2. After due review, the undersigned is directed to convey the approval of Competent Authority regarding restructuring of the administrative and functional control of 64 SPARSH Service Centers functioning at various DPDOs under CDA (PD) Meerut (51 Nos.) and CDA Chennai (13 Nos.) along with following directions -

i. The Defence Pension Disbursement Offices (DPDOs) are henceforth re-designated as SPARSH Service Centers (SSCs)

ii. The administrative and functional control of each SSC are transferred under the Jurisdiction of nearest Pr. Controller/Controller as appended in Annexure 'A' (available on CGDA WAN). PCsDA/CsDA will open a dedicated Pension Coordination Cell under its Administrative Wing to supervise the functional control of SSCs under them. Regular reporting mechanism, periodic inspection may be evolved to effectively monitor the activities of the SSCs.

iii. The physical and soft record held with the DPDOs will continue to be maintained under the respective SSCs and not to be transferred to any other office till further orders.

iv. The authorized strength of manpower at each SSCs is to be one SAO/AAO with a maximum of two Auditors/Sr. Auditors.

v. Payment of pension in respect of 11,085 pensioners who are still being paid by DPDOs and not yet migrated to SPARSH, will be centrally entrusted to 'Aashraya Team' at CENTRAD, Delhi.

vi. The new arrangement is to be made operational by 1st June, 2024

vii. In this regard, necessary Part -I Office Order will be published by respective PCsDA/CsDA and a copy of the same shall be endorsed/forwarded to AN-III and AT-V Pension wing (projectcpp.dad@nic.in) of this HQrs office.

3. This restructuring is expected to streamline operations and enhance the service delivery. Compliance with the above directives is essential for the effective implementation of these changes.

No.1/9/Parents Declaration Bill (Medical), Government of India, Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate of ordance (Coordination & Services),Dated-29.05.2024

Subject : Option for Central Government Employees to avail Medical Benefits circular for their Parents or Parents in Law under CS(MA) Rules 1944 Reg

Ref : G.I. MH&TW File No. S14025/15/2024-EHS, Date 28 March 2024

In Terms of Governer of India Ministry of Health & Family Welfare (EHS Section) File No S-14025/15/82024 EHS dated 18 March 2024 the beneficiaries under CS(MA) Rules, 1944 are now enabled to choose either their parents or parents in law availing medical facilities subject to the fulfilment of extant conditions.

Hence, the serving empooyees, availing medical facilities under CS(MA) Rules 1944 are requested to avail the medical benefits accordingly.

This issues with the approval of the competent authority.

No.S.14025/15/2024 EHS Government of India, Ministry of Health & Family Welfare Dated-28 March 2024

Subject - Option for Central Government Employees to avail medical benefits either for their Parents or Parents In Law under CS(MA) Ruless 1944 Reg

The undersigned is directed to refer to this Ministry OM No. 4(1)-18/63 dated03.03.1987 and No. H.11020/2/2023-EHS dated 26.07.2023, vide which Central Government Employees having valid CGHS card has the option to avail medical benefits under CGHS either for their parents or parents in law

2. This Section have been receiving queries through telephone, email RTI and Public Grievance etc regarding availability of the said option to the CS(MA) beneficiaries as well as par with CGHS beneficiaries.

3The matter has been examined in this Ministry and it has been declared to extend the similar option to beneficiaries under CS(MA) Rules, 1944, also to enable them choose among either parents or parents in law for availing medical facilities.

This issues with the approval of competent authority.

No.H11020/2/2023-EHS Government of India, Ministry of Health & Family Welfare dated July 2023

Subject - Option for Central Government Employees to avail CGHS benefits either for their Perents or Parents in law regarding.

The undersigned is directed to refer to the Office memorandum No. 4(1)-18/63-H dated 03.03.1987 issued by the Ministry of Health and Family Welfare, whereby a female Central Government Employee was given the choice to include either her parents or parents in law for the purpose of availing the benefits under Central Government health Scheme (CGHS) subject to the conditions of dependence and residence etc. being satisfied.

2. The matter has been reviewed and the undersigned is directed to convey the approval of Competent Authority to say that hereafter, both male and female Central Government Employees will have the subject to the conditions of dependence and residence etc, being satisfied.

3. The contents of Para 2 above shall be added the definition of the term family for CGHS benefits.

4. This OM shall supersede at other OMs issued in relation to this subject.

No. 28/03/2024-P&PW (B)/Gratuity/9559, Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Pension & Pensioners' Welfare, dated 30-05-2024

Subject : Enhancement of maximum limit of Gratuity to Central Government employees on reaching the Dearness Allowance rates to 50% - Implementation of recommendations of the Seventh CPC - reg.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 38/37/2016-P&PW (A) (i) dated 04.08.2016 regarding revision of provisions regulating pension/gratuity/commutation of pension/family pension /disability pension/ex-gratia lump-sum compensation, etc. in implementation of the Government's decision on the recommendation of the Seventh Central Pay Commission.

2. Department of Expenditure vide their OM No. 1/1/2024-E-II(B) dated 12.03.2024 has issued instructions regarding enhancement of Dearness Allowance Rates from 46% to 50% of the Basic Pay with effect from 1% January 2024.

3. Accordingly, as per the Government's decisions in implementation of the recommendations of the Seventh CPC, the maximum limit of Retirement Gratuity and Death Gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 or the Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021, would be increased by 25% i.e. from Rs 20.00 Lakh to Rs 25.00 Lakh, with effect from 1st January 2024.

4. All Ministries/Departments are requested to bring the contents of this order to the notice of Controller of Accounts/Pay and Accounts Offices and attached or subordinate offices under them.

5. This issues in consultation with Ministry of Finance, Department of Expenditure vide ID Note No. 1(8)/EV/2024 dated 27.05.2024

6. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, this order is issued in consultation with Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

7. Formal Amendment to the CCS (Pension) Rules, 2021 and the CCS (Payment of Gratuity under NPS) Rules, 2021 will be notified separately.

श्रम गीत

चलें गाँव की ओर

स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है,
चलें गाँव के ओर, हमें फिर वैभव लाना है द्यद्य
हर घर में गो–माँ की सेवा, पशुधन का हो पालन,
जल की रक्षा करने से हो, धरती माँ का पोषण ।
बने औषधि पंचगव्य से, खाद..... गोबर से,
स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, भाव जगाना है,
जड़ी–बूटी से खुशहाली, हमें गाँव में लाना है ।। 1।।
चलें गाँव के ओर.....
गाँव में होगी जैविक खेती, जमीं के नेचे पानी,
धान सब्जी फल और फूल से, सजेगी धरती सारी ।
कोई न होगा भूखा–प्यासा, पूरी होगी सबकी आशा,
स्नेह और सहकारिता का, भाव जगाना है,
कृषि–आधारित समृद्धि, हर गाँव में लाना है ।। 2।।
चलें गाँव के ओर.....

ग्रामोद्योग विस्तार से सबका, निश्चित हो रोजगार,
जिएं सादगी से सब रखें, मन में उच्च–विचार ।
गाँव का हर बच्चा हो शिक्षित, हर युवा संस्कारित
निर्भिक,
भारत माता के जय हो, यह भाव जगाना है,
राम–राज्य के सपने को, साकार कराना है ।। 3।।
चलें गाँव के ओर.....

ग्राम–नगर–वन के सब वासी, भारत की संतान,
एक संस्कृति–एक धर्म है पुरखे सबके समान ।
ऊंच–नीच का भेद भुलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर,
समरसता का गीत गाकर, कदम बढ़ाना है,
इस हेतु से तन–मन–धन, जीवन लगाना है ।। 4।।
चलें गाँव के ओर.....

चरैवेति चरैवेति

चरैवेति चरैवेति यही तो मन्त्र है अपना
नहीं रुकना नहीं थकना सतत् चलना सतत् चलना
यही तो मन्त्र है अपना शुभंकर मन्त्र है अपना

हमारी प्रेरणा भास्कर है जिनका रथ सतत् चलता
युगों से कार्यरत है जो सनातन है प्रबल उर्जा
गति मेरा धरम है जो भ्रमण करना भ्रमण करना
यही तो मन्त्र है अपना शुभंकर मन्त्र है अपना...

हमारी प्रेरणा माधव हैं जिनके मार्ग पर चलना
सभी हिन्दू सहोदर है ये जन जन को सभी कहना
स्मरण उनका करेंगे और समय दे अधिक जीवन का
यही तो मन्त्र है अपना शुभंकर मन्त्र है अपना...

हमारी प्रेरणा भारत है भूमि की करें पूजा
सुजला सुफला सदा स्नेहा यही तो रूप है उसका
जियें माता के कारण हम करें जीवन सफल अपना
यही तो मन्त्र है अपना शुभंकर मन्त्र है अपना...

यही तो मन्त्र है अपना...
यही तो मन्त्र है अपना...
यही तो मन्त्र है अपना...

कानपुर में आयोजित आवासीय शिक्षा वर्ग में उपस्थित विभिन्न पदाधिकारीगण

RNI No. MAHBIL/2002/8760 Publication Date : 30 April. 2024
MONTHLY NEWS PAPER
Postal Regd. No. Misc-II/C.P.M//007/K.PH.O./2020 dt 29-12-2020 (for 2021-23)• Posted on Dt. 26,27th Monthly

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएँ हमें इस पते पर भेजिये।

If undelivered please return to :
"Pratiraksha Bharti"
C/o. Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh
2, Naveen Market, Kanpur - 208 001
Mob. : 9450153677, Tel./Fax : 0512-2332222
Website : www.bpms.org.in
E-mail : gensecbpms@yahoo.co.in, cecbpms@yahoo.in

बुक पोस्ट

Publisher and Owner : Bhartiya Pratiraksha Mazdoor Sangh, 2 Naveen Market, Kanpur-208001
Printed at Chhaya Press 8/208, Arya Nagar, Kanpur-208002 • Mob. : 9839223650